परिपत्रसंख्या:डीजी-52/2019

ओ0 पी0 सिंह,
भा0पु0से0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश,
सिग्नेचर बिल्डिंग,
पुलिस मुख्यालय, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ-226010

दिनांक: लखनऊ:दिसम्बर 06, 2019

प्रिय महोदय,

पर्यावरण प्रदूषण की गम्भीर समस्या से आप सभी भलीभॉति अवगत हैं। स्वच्छ पर्यावरण जीवन का मुख्य आधार है। वायु प्रदूषण की समस्या श्वांस एंव अनेक गम्भीर बीमारियों का कारण बन रही हैं। पराली जलाये जाने तथा घनी आबादी के पास एकत्रित कचरे के ढेर जिसमें प्लास्टिक के अपशिष्ट पदार्थों की बहुतायत होती है, के जलाये जाने के अनेक मामले प्रायः प्रकाश में आते हैं, इससे उठने वाले जहरीले धुऍं से वायु मण्डलीय पर्यावरण गम्भीर रूप से प्रभावित होता है, जिसका सीधा प्रतिकूल प्रभाव मानव एवं अन्य जीवों के स्वास्थ्य पर होता है।

2– प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पर्यावरण अनुभाग के गजट संख्या–2845/55–पर्या0–15–99(पर्या0)–13 दिनांक 28–10–2015 के द्वारा निम्न अधिसूचना जारी की गयी है :–

"चूंकि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात राज्य सरकार की यह राय है कि फसलों की कटाई के उपरान्त बचे हुए भूसा के जलाये जाने से वायु प्रदूषण उत्पन्न होता है। अतएव, अब, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 (अधिनियम संख्या 14, सन् 1981) की धारा 19 की उप धारा–(5) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल एतद्द्वारा इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से उत्तर प्रदेश राज्य में उक्त बचे हुए भूसे को जलाया जाना प्रतिषिद्ध करते हैं।"

3– इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन के स्तर से निर्गत शासकीय आदेश संख्याः1026/12–2–2017, दिनांकः 31.3.2017 तथा इस मुख्यालय के परिपत्र संख्याः डीजी–45/2017, दिनांकः 29 दिसम्बर 2017 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं।

4– मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशिन (सिविल) संख्या–13029/1985 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 04.11.2019 को निर्देशित किया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रभावी कदम उठाये जायें तथा प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रत्येक स्तर पर उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाये। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.11.2019 के क्रम में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–NGT–567/81–7–2019–9(रिट)/2016 दिनांक 04 नवम्बर,2019 द्वारा प्रदूषण नियंत्रण हेतु कार्यवाही के सम्बन्ध में निम्न निर्देश दिये गये हैं :–

" 1– कृषि अपशिष्ट को जलाये जाने की घटनाओं को पूर्ण रूप से रोका जाये तथा इस हेतु जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, तहसीलदार, थानाध्यक्ष, जिला कृषि अधिकारी, लेखपाल तथा ग्राम पंचायत/ग्राम प्रधान के स्तर से हर सम्भव कदम उठाये जायें। कृषि अपशिष्ट जलाये जाने की घटनाओं के पाये जाने पर प्रत्येक स्तर का मा0 सर्वोच्च न्यायालय के प्रश्नगत आदेश के उल्लंघन के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाये। कृषि अपशिष्ट जलाये जाने की अब तक हुई घटनाओं एवं उत्तरदायी व्यक्तियों की इन्वेन्ट्री भी तैयार की जाये।

Scanned by CamScanner

2– राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों को पूर्ण रूप से बन्द कराया जाय तथा उल्लंघनकर्ताओं पर रू0 1.00 लाख का जुर्माना अधिरोपित किया जाये। उक्त आदेश का उल्लंघन पाये जाने की दशा में स्थानीय प्रशासन, नगर निगम एवं विकास प्राधिकरण के उत्तरदायी अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माना जायेगा।

3– राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कोयला आधारित उद्योगों पर लगे प्रतिबन्ध का उल्लंघन पाये जाने की दशा में भी स्थानीय प्रशासन आदि के उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध मा0 सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही की जायेगी।

4– राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कूड़ा जलाये जाने की घटनाओं पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जाये तथा प्रत्येक उल्लंघन की दशा में रू0 5,000/–(रूपया पांच हजार मात्र) का जुर्माना अधिरोपित करते हुए उसके विरूद्ध मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के उल्लंघन के सम्बन्ध में वैधानिक कार्यवाही की जाये। सम्बन्धित स्थानीय निकाय एकत्रित कूडे के निस्तारण हेतु त्वरित रूप से कार्ययोजना बनाकर कार्यवाही करें तथा इस हेतु स्थानीय निकाय के उपायुक्त स्तर के अधिकारी व अन्य अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी माने जायेंगे।

5– रोड डस्ट को नियंत्रित करने हेतु आई0आई0टी0 दिल्ली के परामर्श के अनुसार वाटर स्प्रिंक्लिंग हेतु उचित प्रेशर का प्रयोग किया जाये।

6– राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाये तथा अग्रिम आदेशों तक इमरजेन्सी सेवायें जैसे हेल्थ केयर सर्विस के अलावा डीजल जनरेटर चलाये जाने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जाये।

7– वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु की जाने वाली कार्यवाही तथा स्थानीय प्रशासन, स्थानीय निकाय, पुलिस एवं ग्राम पंचायतों के उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में टेलीविजन, मीडिया, समाचार पत्र, रेडियो आदि माध्यमों से वृहद प्रचार–प्रसार किया जाये।

8– उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मानकों के विरूद्ध वायु प्रदूषणकारी उद्योगों को तत्काल बन्द कराते हुये उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

9– उपरोक्त के अतिरिक्त वायु प्रदूषण के समस्त संभावित स्रोतों यथा–वाहन प्रदूषण, आदि के प्रभावी नियंत्रण हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

5– अध्यक्ष, ई0पी0सी0ए0 डा0 भूरेलाल के पत्र संख्याःईपीसीए–आर/2019/एल–54, दिनांकः 04.11.2019 द्वारा प्रदेश के एन0सी0आर0 क्षेत्र में वायु प्रदूषण के प्रभावी नियंत्रण हेतु निम्नलिखित निर्देश जारी किये गये है :–

(i) Hot mix plants, stone crushers to be closed till November 8, 2019 in all NCR districts.

(ii) All coal and other fuel based industries, which have not shifted to natural gas or agro-residue (with exemption to power-plants) to remain closed In Faridabad, Gurugram, Ghaziabad, Noida, Greater Noida, Sonepat, Panipat, Bahadurgarh and Bhiwadi till moring of November 8,2019. In Delhi industries, which have not yet shifted to PNG to remain closed during till morning of November 8, 2019.

(iii) Cracker burning is completely banned for this entire winter period.

Scanned by CamScanner

6— अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांकः 04.11.2019 में दिये गये निर्देशों एवं ई0पी0सी0ए0 द्वारा दिनांकः 04.11.2019 को दिये गये निर्देशों का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन की प्रतिदिन अपने स्तर पर समीक्षा करते हुये उसकी सूचना मुख्य सचिव कार्यालय एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ई—मेल ngtcell@uppcb.com पर उपलब्ध करायी जाये। ''

7— अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांकः 04.11.2019 में एवं ई0पी0सी0ए0 द्वारा दिनांक 04.11.2019 को दिये गये निर्देशों का अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचित करने के साथ ही प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये। खेतों में कृषि अपशिष्ट जलाये जाने की घटनाओं एवं उत्तरदायी व्यक्तियों की इन्वेन्ट्री भी सम्बन्धित सरपंच और थाना प्रभारी द्वारा तैयार की जायगी तथा मा0 सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन की प्रतिदिन समीक्षा करते हुये मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के सन्दर्भित आदेश दिनांकः 04.11.2019 के अनुक्रम में सक्षम अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर विधि अनुरूप कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

(ओ0पी0 सिंह)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी,
प्रभारी जनपद, उ0प्र0।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. अपर पुलिस महानिदेशक, अभियोजन, उ0प्र0, लखनऊ।
2. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
3. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।

संलग्नकः यथोपरि

Scanned by CamScanner

सुलखान सिंह
आई0पी0एस0

परिपत्र संख्याः डीजी– 45 /2017

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1–तिलकमार्ग, लखनऊ–226001
दिनांकः दिसम्बर 29, 2017

प्रिय महोदय,

पर्यावरण प्रदूषण की गंभीर समस्या से आप सभी भलीभॉति अवगत है। स्वच्छ पर्यावरण जीवन का मुख्य आधार है। शहरों में वायु प्रदूषण की समस्या स्वॉस एवं रक्तचाप सम्बन्धी अनेक गंभीर बीमारियों का कारण बन रही है। घनी आबादी के पास एकत्रित कचरे के ढेर जिसमें प्लास्टिक के अपशिष्ट पदार्थों की बहुतायत होती है, के जलाये जाने के अनेक मामलें प्रायः प्रकाश में आते रहते है, इससे उठने वाले जहरीले धुएँ से वायुमंडलीय पर्यावरण गंभीर रूप से प्रभावित होता है, जिसका सीधा प्रतिकूल प्रभाव मानव एवं अन्य जीवों के स्वास्थ्य पर पड़ता है।

प्रदूषण की रोकथाम एवं पर्यावरण संतुलन की पुर्नस्थापना हेतु सरकारी एवं अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं। इसमें भारी मात्रा में राजकीय धन भी व्यय हो रहा है, परन्तु पर्याप्त जागरूकता के अभाव में लोग जाने–अनजाने कूड़े–कचरे को जलाकर सफाई करने का प्रयास करते है। संभव है कि इससे उत्पन्न धुएँ के खतरनाक परिणाम से सभी लोग भलीभॉति अवगत न हो, परन्तु देश–विदेश स्तर पर इस सम्बन्ध में हो रही चर्चा एवं मीडिया से कोई भी व्यक्ति अनभिज्ञ नहीं होगा, फिर भी प्लास्टिक अपशिष्ट के जलाये जाने से उत्पन्न धुएँ के खतरनाक परिणाम से जनमानस को जागरूक किया जाना समीचीन होगा।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0) द्वारा दिल्ली और आस–पास के इलाकों में फसल या अन्य अपशिष्ट पदार्थ जलाये जाने को प्रतिबन्धित किया है और आदेश का उल्लघंन किये जाने पर भारी जुर्माना अधिरोपित किये जाने का आदेश पारित किया है।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय में भी इस आशय की याचिकाएं योजित की गयी हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा अधिपत्रित (Guaranteed) "जीवन के अधिकार" की परिकल्पना बिना स्वच्छ पर्यावरण के नहीं की जा सकती है। अतः राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह जनता को स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्य करें। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपलब्ध विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही किये जाने के आदेश पारित किये गये है।

प्लास्टिक अपशिष्ट को न्यूनतम करने, स्रोत पर पृथक्करण, पुनःचक्रण पर बल देने के लिए घरों से अथवा इसके जनन के किसी अन्य स्रोत से अथवा मध्यवर्तीय सामग्री प्राप्ति सुविधा से प्लास्टिक अपशिष्ट के टुकडों के संग्रहण से अपशिष्ट बीनने वालों, पुनःचक्रों और अपशिष्ट संसाधनों को सम्मिलित करते हुए अपशिष्ट प्लास्टिक नियम 2016 विनिर्मित किया गया है, जो 18 मार्च 2016 से प्रभावी है।

उक्त अपशिष्ट प्लास्टिक नियम 2016 के नियम 6 में स्थानीय निकाय तथा नियम 07 में ग्राम पंचायत का दायित्व है कि यह सुनिश्चित करें कि प्लास्टिक अपशिष्ट को खुले में न जलाया जाये।

Scanned by CamScanner

पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण हेतु पुलिस द्वारा पर्यावरण(संरक्षण) अधिनियम ... धारा 15, 16 व 17 एवं भा0द0सं0 की धारा 278, 290, 291 तथा पुलिस अधिनियम 1961 की ... के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है।

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि वृहत लोकहित में एवं लोक स्वास्थ्य ... दृष्टिगत प्लास्टिक एवं अन्य अपशिष्ट पदार्थों को जलाये जाने की घटना को रोकने हेतु ... विधिक प्राविधानों के यथोचित प्रयोग हेतु अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को ... करने का कष्ट करें।

भवदीय

(सुलखान सिंह)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/
पुलिस अधीक्षक प्रभारी, उ0प्र0।

प्रतिलिपिः--निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः--

1. पुलिस महानिदेशक, अभियोजन, उ0प्र0 लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ।
3. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
4. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।

Scanned by CamScanner

74 1589 DG-90-(02)2016

1643

शीर्ष प्राथमिकता
मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण प्रकरण/तत्काल
संख्याः 1026/12–2–2017

प्रेषक,

रजनीश गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
कृषि विभाग,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

कृषि अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 31 मार्च, 2017

विषयः–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्धमान कौशिक बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य एवं ओ.ए. संख्या 118/2013 विकान्त कुमार तोगड़ बनाम एन्वायरन्मेन्ट पत्यूशन (प्रिवेन्शन कन्ट्रोल) अथारिटी व अन्य के अन्तर्गत पारित आदेशो के कम में कृषि अपशिष्टों को जलाये जाने से रोकने हेतु कम्बाइन हार्वेस्टिंग मशीन स्ट्रा रीपर विद बाइन्डर अनिवार्य रूप से उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उ0प्र0, शासन के स्तर से जारी शासनादेश संख्या 469/12–2–2017, कृषि अनुभाग–2, दिनांक 10.02.2017 (छायाप्रति संलग्न) जिसके अन्तर्गत कम्बाइन हार्वेस्टिंग मशीन विद स्ट्रा रीपर इत्यादि के प्रयोग की अनिवार्यता सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। शासन के संज्ञान में यह लाया गया है कि उपरोक्त शासनादेश का अभी पूर्ण रूप से अनुपालन जिला स्तर पर नही किया जा रहा है। यह स्थिति चिन्ताजनक है।

अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त शासनादेश के अनुपालन में अपने–अपने मण्डलों/जिलों में बाइण्डर या बिना बाइण्डर के स्ट्रा रीपर के साथ ही कम्बाइन हार्वेस्टिंग मशीनों का प्रयोग फसलों की कटाई हेतु किया जाना कड़ाई एवं गम्भीरता से सुनिश्चित करने का कष्ट करें, ताकि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेश का अक्षरशः पालन हो सकें मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि आप अपने मण्डल/जिले में सभी सम्बन्धित विभागो में अधिकारीयो के साथ अनुपालन की नियमित समीक्षा अनिवार्य रूप से करें।

संलग्नकः यथोक्त।

16(410)

भवदीय

(रजनीश गुप्ता)
प्रमुख सचिव

अपर पुलिस महानिदेशक
कानून एवं व्यवस्था
उ0प्र0, लखनऊ
07/4/17

पुलिस महानिरीक्षक (कानून एव व्यवस्था)
उत्तर प्रदेश 7/4

Scanned by CamScanner

संख्या 1026 (1)/ 12–2–2017, तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय, उ0प्र0 शासन को अवलोकनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, परिवहन, पर्यावरण, गन्ना, उद्यान विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से कि कृपया अपने स्तर से समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0 को निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें।
4. गन्ना आयुक्त उ0प्र0 तथा निदेशक, पशुपालन, उद्यान, रेशम एवं मत्स्य को अनुपालनार्थ।
5. निदेशक, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि अधीनस्थ विभागीय अधिकारियों के माध्यम से प्रदेश में व्यापक प्रचार–प्रशार कारते हुये कम्बाइन मशीनों के साथ रीपर का प्रयोग अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराये। प्रदेश में विद्यमान कम्बाइन मशीनों में सम्बन्धित कृषकों द्वारा स्ट्रा रीपर विद बाइन्डर लगवाया जाना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से

(बी. राम शास्त्री)
विशेष सचिव

Scanned by CamScanner